

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 जनवरी 2011—पौष 14, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. 88-6-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 दिसम्बर 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०११

मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, २०१०

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति.
४. प्रत्येक फल-पौध रोपणी का स्वामी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा.
५. अनुज्ञप्ति दी जाने और उसके नवीकरण के लिये आवेदन.
६. अनुज्ञप्तिधारक के कर्तव्य.
७. राज्य सरकार की कतिपय फल-पौधों के आयात, निर्यात या परिवहन को विनियमित करने या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.
८. अनुज्ञप्तियों को रद्द या निलंबित करने की शक्ति.
९. अनुज्ञप्ति की वापसी.
१०. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति.
११. अपील.
१२. पुनरीक्षण.
१३. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति.
१४. शास्तियां.
१५. कम्पनियों द्वारा अपराध.
१६. अपराध का संज्ञान.
१७. न्यायालय की अधिकारिता.
१८. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों का लोक सेवक होना.
१९. सद्भावपूर्वक की गई कर्रवाई का संरक्षण.
२०. प्रत्यायोजित करने की शक्ति.
२१. नियम बनाने की शक्ति.
२२. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०११

मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, २०१०

[दिनांक ३० दिसम्बर २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ४ जनवरी २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश राज्य में फल-पौध रोपणियों के अनुज्ञापन और विनियमन के लिए तथा उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, २०१० है.

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी;

(ख) "फल-पौध" से अभिप्रेत है कोई पौधा जो खाने योग्य फल या नट पैदा कर सकता हो और इसमें किसी ऐसे पौधे की बड़बुड, नवोदलीय (सीडलिंग), कलम, लेयर, बीज, कंद (बल्ब), चूषक, प्रकन्द (राइजोम) और कतरन (कर्टिंग) सम्मिलित हैं;

(ग) "फल-पौध रोपणी" से अभिप्रेत है, कोई स्थान, जहां कारबार के नियमित अनुक्रम में फल पौध प्रवर्धित किए जाते हैं और रोपने के लिए बेचे जाते हैं;

(घ) फल-पौध रोपणी के संबंध में "स्वामी" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी, जिसका ऐसी फल-पौध रोपणी के ऐसे कार्यकलापों पर पूर्ण नियंत्रण हो और जहां उक्त कार्यकलाप किसी प्रबंधक, प्रबंध संचालक या प्रबंध अभिकर्ता को सौंपे जाते हैं वहां ऐसे प्रबंधक, प्रबंध संचालक या प्रबंध अभिकर्ता को फल-पौध रोपणी का स्वामी समझा जाएगा;

(ङ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(च) "प्रकन्द (रूटस्टाक)" से अभिप्रेत है, ऐसा फल-पौध या उसका कोई भाग, जिस पर फल-पौध का कोई भाग कलम करके बांधा गया है या मुकुलित हुआ है;

(छ) "कलम (साइअन)" से अभिप्रेत है, किसी फल-पौध का वह भाग जो किसी रूटस्टाक पर कलम करके बांधा गया है या मुकुलित हुआ है.

सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति.

३. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

- (क) ऐसे व्यक्तियों को, जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारियों के रूप में, जैसा कि वह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी; और
- (ख) उन सीमाओं को परिभाषित कर सकेगी, जिसके भीतर सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा.

प्रत्येक फल-पौध रोपणी का स्वामी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा.

४. फल-पौध रोपणी का कोई भी स्वामी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से छह मास के अवसान के पश्चात् या उस तारीख से जिसको कि वह ऐसी फल-पौध रोपणी का प्रथम बार स्वामी हो गया हो, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करके और उसके अनुसार ही फल-पौध रोपणी का कारोबार संचालित करेगा या चलाएगा, अन्यथा नहीं.

स्पष्टीकरण.—जहां किसी स्वामी के पास या तो उसी नगर या ग्राम में या भिन्न-भिन्न नगरों या ग्रामों में एक से अधिक फल-पौध रोपणी हैं, वहां वह ऐसी प्रत्येक फल-पौध रोपणी के संबंध में पृथक्-पृथक् अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा.

अनुज्ञप्ति दी जाने और उसके नवीकरणकेलिये आवेदन.

५. (१) पूर्ववर्ती धारा में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने का इच्छुक कोई स्वामी ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में और ऐसी अनुज्ञप्ति फीस के साथ, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विहित की जाए सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आवेदन करेगा.

(२) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच करेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे और यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि —

- (क) जिस फल-पौध रोपणी के संबंध में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है, वह फल-पौध का समुचित रूप से प्रवर्धन करने के लिए उपयुक्त है;
- (ख) आवेदक ऐसी फल-पौध रोपणी का प्रबंधन करने के लिए सक्षम है;
- (ग) आवेदक ने विहित अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान कर दिया है; और
- (घ) आवेदक ऐसी अन्य शर्तों की, जो कि विहित की जाएं, जो प्रवर्धन किए जाने वाले पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें उचित मूल्य पर विक्रय करने से संबंधित हों, पूर्ति करता है या पूर्ति करने के लिए वचन देता है,

तो सक्षम प्राधिकारी एक मास के भीतर निरीक्षण पूर्ण करने के पश्चात्, आवेदक को अनुज्ञप्ति देगा और यदि सक्षम प्राधिकारी का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और इंकार करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर सकेगा और ऐसे विवरण की एक प्रति आवेदक को देगा.

(३) इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विधिमान्य होगी और आवेदन किए जाने पर ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी फीस का भुगतान किए जाने पर तथा ऐसी शर्तों पर, जैसी कि विहित की जाएं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर, नवीकृत की जा सकेगी और जहां सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार करता है, वहां वह ऐसे इंकार करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रति आवेदक को देगा :

परन्तु किसी अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार करने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता.

६. इस अधिनियमके अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक —

अनुज्ञप्तिधारकके कर्तव्य.

- (क) कलम या प्रकन्द (साइअन या रूटस्टाक) के संबंध में अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट फल-पौध की केवल ऐसी किस्मों का प्रवर्धन और विक्रय के लिए उपयोग करने का वचन देगा, जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित की जाएं;
- (ख) वह प्रत्येक प्रकन्द (रूटस्टाक) और प्रत्येक कलम (साइअन) के उद्गम या स्रोत का सम्पूर्ण अभिलेख, निम्नलिखित दर्शित करते हुए रखेगा,—

(एक) प्रयुक्त किए गए प्रकन्द (रूटस्टाक) का वानस्पतिक नाम, उसके स्थानीय नाम सहित, यदि कोई हो;

(दो) फल-पौधों को उगाने के उपयोग में लाए गए साइअन वृक्ष का वानस्पतिक नाम, उसके स्थानीय नाम सहित, यदि कोई हो;

- (ग) फल-पौधों के प्रवर्धन हेतु प्रयुक्त किए गए रोपणी भूखण्डों के साथ मूल वृक्षों को कीटों, नाशक जीवों तथा पौधों को होने वाली बीमारियों से मुक्त रखेगा;
- (घ) फल-पौधों को ऐसी रीति में तैयार करने का वचन देगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित किया जाए;
- (ङ) विक्रय के लिए आशयित किसी पैकेज में संलग्न किए गए फल-पौधों की प्रत्येक किस्म के नाम का लेबल जिसमें प्रत्येक ऐसे फल-पौधों के कलम (साइअन) के नाम के साथ उसकी आयु और प्रकन्द (रूटस्टाक) के नाम विहित रीति में अवधारित हों, सहजदृश्य रीति में विनिर्दिष्ट करेगा;
- (च) केवल ऐसे फल-पौधों को ही विक्रय या वितरण के लिए उन्मोचित करने का वचन देगा जो कीटों, नाशक जीवों या पौधों को होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी से पूर्णतः मुक्त हों;
- (छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए प्रारूप में एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें किसी भी व्यक्ति को विक्रय किये गये फल-पौध का नाम, उसकी आयु, प्रकन्द (रूटस्टाक) तथा कलम (साइअन) का नाम और उसको क्रय करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता दर्शाया जाएगा;

७. राज्य सरकार, राज्य के किसी भाग में उगाए गए किन्हीं फल-पौधों की गुणवत्ता बनाए रखने या उन्हें हानिकारक कीटों, नाशक जीवों या फल-पौधों को होने वाली बीमारियों से संरक्षित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अज्ञात वंशावली के या किसी संक्रामक या सांसर्गिक कीटों या बीमारी से प्रभावित किन्हीं फल-पौधों को, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जैसी कि अधिरोपित की जाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित कस्टम सीमान्त क्षेत्र के उस पार से भिन्न किसी राज्य या उसके किसी भाग में लाने या उससे बाहर ले जाने को या राज्य के भीतर परिवहन को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी.

राज्य सरकार की कतिपय फल-पौधों के आयात, निर्यात या परिवहन को विनियमित करने या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.

८.(१) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन दी गई या नवीकृत की गई कोई अनुज्ञप्ति, निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर निलंबित या रद्द कर सकेगा, अर्थात् :—

अनुज्ञप्तियों को रद्द या निलंबित करने की शक्ति.

- (क) यह कि उसने फल-पौध रोपणी पर उसके नियंत्रण को पूर्णतः या अंशतः हटा लिया है या ऐसी फल-पौध रोपणी को संचालित या धारित करना अन्यथा छोड़ दिया है;
- (ख) यह कि जहां राज्य सरकार द्वारा, किन्हीं फल-पौधों की किसी किस्म की अधिकतम दर या मूल्य, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत कर दी गई हो वहां उसने ऐसे किसी फल-पौध को उच्चतर दर या मूल्य पर विक्रय किया है;

- (ग) यह कि वह बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबंधनों तथा शर्तों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहा है या उसने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है;
- (घ) विहित किए गए किसी अन्य आधार पर.

(२) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्ति के संबंध में रद्दकरण आदेश पारित किए जाने तक अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा.

(३) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (१) के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को, वे आधार सूचित करेगा जिन पर कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है तथा उसे ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कारण बतलाने का युक्तियुक्त अवसर देगा.

(४) उपधारा (१) या (२) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रतिलिपि अनुज्ञप्तिधारी को तत्काल प्रदान की जाएगी.

अनुज्ञप्ति की वापसी.

९. अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट वैधता की कालावधि की समाप्ति पर या अनुज्ञप्ति के निलंबित या रद्द किए जाने के आदेश की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति वापस करेगा.

परन्तु ऐसा प्राधिकारी, ऐसी समाप्ति, निलंबन या रद्दकरण के पश्चात्, स्वामी को उसकी फल-पौध रोपणी के परिसमापन के लिए ऐसा युक्तियुक्त समय देगा, जैसा कि वह उचित समझे.

अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति.

१०. यदि किसी स्वामी की मंजूर की गई अनुज्ञप्ति गुम हो गई है, नष्ट हो गई है, फट गई है या खराब हो गई है, तो सक्षम प्राधिकारी, आवेदन करने और विहित फीस का भुगतान करने पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा.

अपील.

११.(१) सक्षम प्राधिकारी के, अनुज्ञप्ति देने या अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे प्रारूप और रीति में, ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसे प्राधिकारी को जैसा कि विहित किया जाए, अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी, विहित कालावधि का अवसान होने पर भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से प्रविरत रहा था.

(२) अपील प्राधिकारी, उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे.

(३) इस धारा के अधीन पारित आदेश, धारा १२ के अधीन पुनरीक्षण के विनिश्चय के अध्यक्षीन रहते हुए, अंतिम होगा.

पुनरीक्षण.

१२. (१) राज्य सरकार, अपील में किए गये किसी आदेश के विरुद्ध किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा उसे किए गए आवेदन पर, या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध और अपील में आदेश के विरुद्ध भी, स्वप्रेरणा से किसी भी समय, इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगी तथा उसका परीक्षण कर सकेगी और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार, इस धारा के अधीन उसे प्रदत्त शक्ति का, ऐसे आदेश के संबंध में, जिसके विरुद्ध अपील लंबित है, प्रयोग नहीं करेगी:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश जो किसी व्यक्ति को प्रतिकूलतः प्रभावित करता हो तब तक पारित नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(२) इस धारा के अधीन पारित किया गया आदेश अंतिम होगा.

१३. (१) किसी भी फल-पौध रोपणी की स्थिति अभिनिश्चित करने या उसके कार्यकरण का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिये या कारोबार के उस स्थान की जहां फल-पौध का विक्रय किया जाता है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उल्लेखित किसी अन्य प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह समस्त युक्तियुक्त समय पर और सहायकों के साथ या उनके बिना—

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति.

- (क) किसी भी फल-पौध रोपणी या कारोबार के उस स्थान में, जहां फल-पौधों का विक्रय किया जाता हो, प्रवेश करे और वहां उपलब्ध फल-पौधों का निरीक्षण या परीक्षण करे;
- (ख) ऐसी फल-पौध रोपणी या कारोबार के ऐसे स्थान से संबंधित लेखा-पुस्तकों, रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने का आदेश दे और ऐसे दस्तावेज के संक्षेप या उसकी प्रतियां प्राप्त करे या प्राप्त करवायें;
- (ग) ऐसी रोपणी के संबंध में नियंत्रण रखने वाले या उसमें नियोजित किसी व्यक्ति से समस्त आवश्यक प्रश्न पूछे और उसका परीक्षण करे.

(२) अनुज्ञप्तिधारी या ऐसी रोपणी या कारोबार के ऐसे स्थान के संबंध में नियोजित समस्त व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे निरीक्षण और परीक्षण के लिये समस्त युक्तियुक्त पहुंच और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जैसी की पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित हों तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के आधार पर समस्त प्रश्नों के उत्तर देने के लिये तथा फल-पौध रोपणी या कारोबार के स्थान, जहां फल-पौधों का विक्रय किया जाता है, के संबंध में उनके कब्जे में के दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिये आबद्ध होंगे, जैसी कि ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा अपेक्षित की जाए.

१४. यदि कोई व्यक्ति,—

शास्तियां.

- (क) इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है या उसके अधीन बनाए गए नियमों के ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करता है, जिनका कि उल्लंघन इस धारा के अधीन दण्डनीय बनाया गया है; या
- (ख) किसी अधिकारी या व्यक्ति को, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में या उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का अनुपालन करने में बाधा उत्पन्न करता है, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा.

१५. (१) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिये उस कंपनी का भारसाधक था और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध की दोषी समझी जाएगी और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिये भागी होंगे:

कम्पनियों द्वारा अपराध.

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उनकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां कंपनी का ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए.—

(क) “कंपनी” से अभिप्रेत है, कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है;

(ख) किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” से अभिप्रेत है, फर्म का कोई भागीदार।

अपराध का संज्ञान.

१६. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, ऐसा अपराध घटित करने वाले तथ्यों के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

न्यायालय की अधिकारिता.

१७. प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों का लोक सेवक होना.

१८. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए समस्त अधिकारियों और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सौंपी गई किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या उस पर अधिरोपित किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई करवाई का संरक्षण.

१९. राज्य सरकार या किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो, या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

प्रत्यायोजित करने की शक्ति.

२०. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग या ऐसे कर्तव्य का पालन जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा राज्य सरकार को (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) प्रदत्त की गई हो या उस पर अधिरोपित किए गए हों, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति.

२१. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, नियम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने का प्रारूप और रीति, ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए फीस और उसका नवीकरण, वह कालावधि जिसके लिए और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए और वह प्ररूप जिसमें धारा ५ के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी;
 - (ख) ऐसे अन्य आधार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिनके उल्लंघन से, धारा ८ के अधीन अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण आवश्यक हो जाएगा;
 - (ग) धारा १० के अधीन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के बाबत् देय फीस;
 - (घ) वह प्ररूप और रीति जिसमें, वह कालावधि जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसको धारा ११ के अधीन अपील की जा सकेगी और अपील का निपटारा करने में अपील प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
 - (ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया गया हो या जो विहित किया जाए.
- (२) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी भी नियम में यह उपबंध हो सकेगा कि उसका उल्लंघन धारा १४ के अधीन दण्डनीय होगा.
- (३) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा.

२२. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी:

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. 89-6-इक्कीस-अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 3, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2011

THE MADHYA PRADESH PHAL-PAUDH ROPANI (VINIYAMAN) ADIHINIYAM, 2010.

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Appointment of competent authority.
4. Owner of every fruit-plant nursery to obtain licence.
5. Application for grant and renewal of licence.
6. Duties of the holder of a licence.
7. Power of the State Government to regulate or prohibit import, export or Transport of certain fruit-plants.
8. Power to cancel or suspend licences.
9. Return of licence.
10. Duplicate licence.
11. Appeals.
12. Revision.
13. Power of entry and inspection.
14. Penalties.
15. Offences by companies.
16. Cognizance of offence.
17. Jurisdiction of court.
18. Officers and persons exercising power under this Act to be public servants.
19. Protection of action taken in good faith.
20. Power to delegate.
21. power to make rules.
22. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2011

THE MADHYA PRADESH PHAL-PAUDH ROPANI (VINIYAMAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 30th December, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4th January, 2011.]

An Act to provide for the licensing and regulation of fruit-plant nurseries in the State of Madhya Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-First year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent
and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Phal-Paudh Ropani (Viniyaman) Adhiniyam, 2010.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) “competent authority” means a competent authority appointed under section 3;
- (b) “fruit-plant” means any plant which can produce edible fruits or nuts, and includes budwood, seedlings, grafts, layers, seeds, bulbs, suckers, rhizomes and cuttings of any such plant;
- (c) “fruit-plant nursery” means any place where fruit plants are in the regular course of business propagated and sold for transplantation;
- (d) “owner” in relation to a fruit-plant nursery means the person who, or the authority which, has the ultimate control over the affairs of such fruit-plant nursery; and where the said affairs are entrusted to a manager, managing director or managing agent, such manager, managing director or managing agent shall be deemed to be the owner of the fruit-plant nursery;
- (e) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (f) “rootstock” means a fruit-plant or part thereof on which any portion of a fruit-plant has been grafted or budded;
- (g) “scion” means portion of a fruit-plant which is grafted or budded on to a rootstock.

3. The State Government may, by notification in the official Gazette,—

Appointment of competent authorities.

- (a) appoint such persons, being Gazetted officers of the State Government, as it thinks fit to be competent authorities for the purposes of this Act; and
- (b) define the limits within which a competent authority shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on him, by or under this Act.

4. No owner of a fruit-plant nursery shall, after the expiry of six months from the date of commencement of this Act or from the date on which he first becomes owner of such nursery, whichever is later, conduct or carry on the business of the fruit-plant nursery, except under and in accordance with a licence obtained by him under the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Owner of every fruit-plant nursery to obtain licence.

Explanation.—Where an owner has more than one fruit-plant nursery, whether in the same town or village or in different towns or villages, he shall obtain a separate licence in respect of each such fruit-plant nursery.

5. (1) Any owner desiring to obtain a licence referred to in the last preceding section shall make an application in writing to the competent authority in such form and manner, and accompanied by such licence fee as may be prescribed by the State Government from time to time.

Application for grant and renewal of licence.

(2) On the receipt of such application, the competent authority shall make such inquiry as it considers necessary, and if the competent authority is satisfied—

- (a) that the fruit-plant nursery is suitable for the proper propagation of the fruit-plants in respect of which the licence has been applied for;

- (b) that the applicant is competent to manage such a fruit-plant nursery;
- (c) that the applicant has paid the prescribed licence fee; and
- (d) that the applicant fulfils or undertakes to fulfil such other conditions as may be prescribed, being conditions for ensuring the quality of plants to be propagated, and their sale at a reasonable price,

the Competent Authority shall grant the licence to the applicant after completion of inspection within one month, and if the competent authority is not so satisfied, it may, after giving a reasonable opportunity to the applicant of being heard and after recording a brief statement of the reasons for refusal, refuse to grant the licence and furnish a copy of such statement to the applicant.

(3) Every licence granted under this section shall be valid for the period specified therein, and may, on an application made to it be renewed from time to time by the competent authority for such period and on payment of such fee, and on such conditions, as may be prescribed, and where the competent authority refuses to renew a licence, it shall record a brief statement of the reasons for such refusal and furnish a copy thereof to the applicant.

Provided that no order refusing to renew a licence shall be made, unless the applicant is given a reasonable opportunity of being heard.

Duties of the holder of licence.

6. Every holder of a licence under this Act shall—

- (a) undertake to employ only such varieties of the fruit-plants specified in the licence in respect of scion or rootstock for propagation and sale as may be directed by the competent authority;
- (b) keep a complete record of the origin or source of every rootstock and every scion showing—
 - (i) the botanical name, together with the local name, if any, of the rootstock used;
 - (ii) the botanical name, together with the local name, if any, of the scion tree employed in raising the fruit-plants;
- (c) keep the nursery plots as well as the parent trees used for the propagation of fruit-plants free from insects, pests and plant diseases;
- (d) undertake to prepare the fruit-plants in such manner as may be directed by the competent authority;
- (e) specify in a conspicuous manner on a label the name of every variety of fruit-plant enclosed in any package intended for sale, its age as determined in the prescribed manner and the name of the rootstock together with that of the scion of every such fruit-plant;
- (f) undertake to release for sale or distribution only such fruit-plants as are completely free from any kind of insect, pest or plant disease;
- (g) maintain a register in the form specified by the competent authority showing the name of the fruit-plant sold to any person, its age, the name of the root stock and scion and the name and address of the person purchasing it.

7. The State Government may, for the purpose of maintaining the quality of any fruit-plants grown in any part of the State or to protect them from injurious insects, pests or plant diseases, by notification in the official Gazette, regulate or prohibit, subject to such restrictions and conditions as it may impose, the bringing into, or taking out of the State or any part thereof, otherwise than across the customs frontiers as defined by the Central Government, or the transport within the State, of any fruit-plants of unknown pedigree or affected by any infectious or contagious pests or disease.

Power of the State Government to regulate or prohibit import, export or transport of certain fruit-plants.

8. (1) The competent authority may suspend or cancel any licence granted or renewed under this Act on any one or more of the following grounds, namely:—

Power to cancel or suspend licences.

- (a) that he has parted, in whole or in part, with his control over the fruit-plant nursery or has otherwise ceased to conduct or hold such fruit-plant nursery;
- (b) that where the maximum rate or price of any variety of any fruit-plants has been fixed by the State Government by notification in the official Gazette, he has sold any such fruit-plant at a higher rate or price;
- (c) that he has, without reasonable cause, failed to comply with any of the terms and conditions of the licence or any directions lawfully given by the competent authority or has contravened any of the provisions of this Act or the rules made thereunder;
- (d) on any other prescribed ground.

(2) The competent authority may suspend the licence pending the passing of a cancellation order in respect thereof under sub-section (1).

(3) Before passing an order under sub-section (1) the competent authority shall inform the licensee, the grounds on which it is proposed to take action and give him a reasonable opportunity of showing cause against such action.

(4) A copy of every order passed under sub-section (1) or (2) shall be communicated to the licensee forthwith.

9. On the expiry of the period of validity specified in a licence or on receipt of an order suspending or cancelling a licence, the licensee shall return the licence to the competent authority:

Return of licence.

Provided that such authority may, after such expiration, suspension or cancellation, give such reasonable time as it thinks fit to the owner to enable him to wind up his fruit-plant nursery.

10. If a licence granted to an owner is, lost, destroyed, mutilated or damaged, the competent authority shall, on application and payment of the prescribed fee, issue a duplicate licence.

Duplicate licence.

11. (1) Any person aggrieved by an order of a competent authority refusing to grant or renew a licence or suspending or cancelling a licence, may appeal in such form and manner within such period and to such authority, as may be prescribed:

Appeals.

Provided that the appellate authority may entertain the appeal on expiry of the prescribed period, if it is satisfied that the appellants was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the appellate authority shall, after giving the appellants an opportunity of being heard, pass such order on the appeal as it thinks fit.

(3) An order passed under this section shall, subject to the decisions of revision under section 12, be final.

Revision.

12.(1) The State Government may on an application made to it by an aggrieved person against an order in appeal or suo moto against an order of the competent authority and also against an order in appeal, at any time, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed under this Act, call for and examine the record of any case and may pass such order thereon, as it thinks fit:

Provided that the State Government shall not exercise the power conferred on it by this section, in respect of an order against which an appeal is pending;

Provided further that the State Government shall not pass any order under this section which adversely affects any person, unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) An order passed under this section shall be final.

Power of entry and inspection.

13. For the purpose of ascertaining the position, or examining the working of any fruit-plants nursery or place of business where the fruit-plants are sold or for any other purpose mentioned in this Act or the rules made thereunder, the competent authority or any person authorized by it or by the State Government in this behalf, shall have the right at all reasonable hours and with or without assistants—

- (a) to enter into any fruit-plant nursery or place of business where the fruit-plants are sold and to inspect or examine the fruit-plants therein;
- (b) to order the production of any account book, register, record or other document relating to such nursery or such place of business and take or cause to be taken extracts from, or copies of such a document;
- (c) to ask all necessary questions and examine any person having control of, or employed in connection with, such nursery.

(2) The licensee and all persons employed in connection with such nursery or such place of business shall afford the competent authority or the authorized person all reasonable access and facilities for such inspection and examination as may be required for the purposes aforesaid and shall be bound to answer all questions to the best of their knowledge and belief to produce documents in their possession and to furnish such other information in relation to the fruit-plant nursery or place of business where fruit plants are sold as may be required by such authority or person.

Penalties.

14. If any person—

- (a) contravenes any of the provisions of this Act or contravenes the provisions of any rule made thereunder, the contravention of which is made punishable under this section; or
- (b) obstructs any officer or person in the exercise of any powers conferred or in the performance of any duty imposed on him by or under this Act,

he shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or both.

Offences by companies.

15. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person, liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purpose of this section-

- (a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals;
- (b) “director” in relation to a firm, means a partner in the firm.

16. No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on the report in writing of the facts constituting such offence made by the competent authority or any officer authorized by the state Government in this behalf.

Cognizance of offence.

17. No court inferior to that of a magistrate of first class, shall try any offence punishable under this Act.

Jurisdiction of court.

18. All officers appointed under this Act and every person authorized to exercise any powers conferred or to perform any duties imposed on him by or under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Officers and persons exercising power under this Act to be public servants.

19. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

20. The State Government may, by notification in the official Gazette, direct that any power or duty which by this Act or by any rule made thereunder is conferred or imposed on the State Government (except the power to make rules) shall in such circumstances and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, be exercised or performed also by any officer or authority subordinate to the State Government.

Power to delegate.

21. (1) The State government may, by notification in the official Gazette, and subject to the condition of previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the form of and manner of making an application for a licence, the fees for such licence and renewal thereof, the period for which, the conditions subject to which and the form in which a licence may be granted under section 5;
- (b) the other grounds, the contravention of which by the licensee, shall entail suspension or cancellation of the licence under section 8;
- (c) the fees payable in respect of a duplicate licence under section 10;

(d) the form and manner in which, the period within which and the authority to which, an appeal may be made under section 11, and the procedure to be followed by the appellate authority in disposing of the appeal;

(e) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Any rule made under this section may provide that a contravention thereof shall be punishable under section 14.

(4) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

22. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.